



आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार
मण्डल : आगरा, जनपद : आगरा, तहसील : आगरा
वाद संख्या : RST/5302/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : T202301010105302

मैसर्स कावेरी हाउसिंग प्रा० लि० संजय प्लेस आगरा बनाम जवाहर कुंज सह० आवास समिति लि० द्वारा जगदीश प्रसाद आग्निहोत्री
अंतर्गत धारा :- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006



निर्णय

उक्त वाद मैसर्स कोवरी हाउसिंग प्रा० लि० के पुर्न स्थापना प्रार्थनापत्र पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककरैठा मुस्तकिल के गाटा संख्या 197 रकवा 0.2190हे० मे से रकवा 0.050835हे० व गाटा संख्या 198 रकवा 0.5190हे० सम्पूर्ण व गाटा संख्या 195 रकवा 0.1840हे० व गाटा संख्या 196 रकवा 0.1960हे० कुलकिता 2 मे से रकवा 0.1040हे० का बैनामा जवाहर कुंज सह० आ० समि० व मयूर सह० आ० समि० से कराया है। जिसका नामांतरण वाद दिनांक 05.02.2024 को अदम पैरवी एवं साक्ष्य अभाव में निरस्त कर वाद पुनः स्थापित करते हुए नामांतरण कर दिया जावे।

मूल पत्रावली सहित पुनः स्थापन प्रार्थना पत्र विचार किया गया। न्यायहित में पूर्व पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 को निरस्त कर वाद अपने मूल नंबर पर पुनः स्थापित करते हुए साक्ष्य मांगा गया। साक्ष्य में विक्रेता पत्र, शपथपत्र एवं नकल खतौनी दाखिल हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि विक्रेता संभू० है, विक्रेता अनु० जाति का सदस्य नहीं है। विक्रेता ने गाटा संख्या 197 रकवा 0.2190हे० मे से रकवा 0.050835हे० व गाटा संख्या 198 रकवा 0.5190हे० सम्पूर्ण व गाटा संख्या 195 रकवा 0.1840हे० व गाटा संख्या 196 रकवा 0.1960हे० कुलकिता 2 मे से रकवा 0.1040हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। केता के पास कयशुदा भूमि सहित परिवार में साढे बारह एकड से कम भूमि है। मौके पर कब्जा केता का है। आर० सी० की धारा 89,90,91 व 98, 99 का उल्लंघन नहीं हुआ है। साक्ष्य पूरा है। वाद निर्विवाद है।

आदेश

अतः मौजा ककरैठा मुस्तकिल के खाता सं० 00093 के गाटा संख्या 197 रकवा 0.2190हे० मे से रकवा 0.050835हे० व गाटा संख्या 198 रकवा 0.5190हे० सम्पूर्ण से विक्रेता जवाहर कुंज सहकारी आवास समिति लि० द्वारा जगदीश प्रसाद आग्निहोत्री पुत्र सुम्मेरदत्त निवासी 25/55 कारवना लोहामंडी आगरा व खाता संख्या 00192 के गाटा संख्या 195 रकवा 0.1840हे० व गाटा संख्या 196 रकवा 0.1960हे० कुलकिता 2 मे से रकवा 0.1040हे० से विक्रेता मयूर सहकारी आवास समिति लि० आगरा द्वारा सचिव मिलिन्द कुमार पुत्र छोटे लाल शर्मा निवासी 50 मोहनपुरा आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता मैसर्स कावेरी हाउसिंग प्रा० लि० कार्यालय 57/2 कावेरी सेन्टर संजय प्लेस आगरा द्वारा डायरेक्टर विकास फौजदार पुत्र जे० एस० फौजदार निवासी 56 एलोरा एन्कलेव दयालबाग आगरा का नाम बतौर संभू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 9050000, 15570000, 12440000 / - रु० आवेदन संख्या-2013, 5318 दिनांक 31.05.2016, 29.10.2010, 22.01.2010 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :- 11.3.24

पृष्ठ संख्या :

TRUE COPY

Coping Teh, Agra

तहसीलदार (सदर)
आगरा।





संख्या २१४

पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब

पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब

पञ्जाब

पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब

- (1) क्रम संख्या २१४
- (2) नाम प्राची रातवीर
- (3) तारीख व दायता ११-३-२५
- (4) स्टाम्प फीस ०७
- (5) किस बावत विवेक्षण
- (6) शब्द ७० (लगभग)
- (7) दिनांक तैयारी ५-५-२५
- (8) दिनांक नोटिस बोर्ड ५-५-२५

पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब

पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब
पञ्जाब प्रान्त, पञ्जाब

TRUE COPY





उद्धरण खतौनी



उद्धरण क्रमांक : 218340202404105

ग्राम क्रमांक : 218340 ग्राम का नाम (परगना) : ककरैठा मुस्ताकिल(आगरा) तहसील : आगरा जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00093

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिपरी के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण

खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण

भूमि का विवरण

खातेदार का अंश

खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम/जाति कोड/ आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जाति का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू राजस्व
197	जवाहर कुंज सा.आ.सहि.द्रारा / . जगदीश प्रसाद अग्रिहोत्री / सुमेरुदत्त / 25/55 कारवान लोहामण्डी		1396फ	197(2183400197000012)	0.2190			6.20

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- भूमि दशमालव दो एक नौ भूमि (हेक्टर) कुल भूराजस्व - रु. दशमालव दो भूमि रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

खरिज किया गया

दर्ज किया गया

(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम/ जाति कोड/ आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर/ यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम/ पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम/ जाति कोड/ आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर/ यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
--	---	------------------------------------	----------------------	--	------------------------------------	----------------------

(17) भूमि के सम्बन्ध में विवादाधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :

(18.2) बंधक मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :

(19) अन्य विवरण :

1) 1430फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार सदर आगरा के वाद सं० 17202301010105302 दि० 11-03-24 के अनुसार मौजा ककरैठा मुस्ताकिल के खाता सं० 00093 के गाटा संख्या 197 रकबा 0.2190 हे० में से रकबा 0.05083 हे० व गाटा संख्या 198 रकबा 0.5190 हे० सम्पूर्ण से विक्रेता जवाहर कुंज सहकारी आवास समिति लि० द्वारा जगदीश प्रसाद अग्रिहोत्री पुत्र सुमेरुदत्त निवासी 25/55 कारवान लोहामण्डी आगरा व खाता संख्या 00192 के गाटा संख्या 195 रकबा 0.1840 हे० व गाटा संख्या 196 रकबा 0.1960 हे० कुलविक्री 2 में से रकबा 0.1040 हे० से विक्रेता मयूर सहकारी आवास समिति लि० आगरा द्वारा जगदीशप्रसाद अग्रिहोत्री पुत्र सुमेरुदत्त नि० 25/55 कारवान लोहामण्डी आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर केला मेसर्स कावेरी हाउसिंग प्रा० लि० कार्यालय 57/2 कावेरी सेक्टर संजय लोस आगरा द्वारा जगदीशप्रसाद अग्रिहोत्री पुत्र सुमेरुदत्त निवासी 56 एलीश एन्क्लेव दयालबाग आगरा का नाम बतौर सं० 40 द्वारा बेनामा दर्ज हो हे० आ० र० के० (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR 27-04-2024)

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1420फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार सदर आगरा के वाद सं० 979/11-12 दि० 24-09-12 के अनुसार खाता सं० 105 के गाटा सं० 215 रकबा 0.1840, 217 रकबा 0.1730, 219 रकबा 0.1960, 216 रकबा 0.1960, 218 रकबा 0.2420, 224 रकबा 0.3570, 197 रकबा 0.2190, 198 रकबा 0.5190 हे० एवं खाता सं० 106 के गाटा सं० 220 रकबा 0.1730, 221 रकबा 0.3000, 222 रकबा 0.2190 कुल किरा 11 रकबा 2.778 हे० के बिक्रेता के निपट अंश में से आंशिक रकबा 0.1672 हे० भूमि पर अनुसार रकबा देय से जवाहरकुंज सहकारी आवास समिति लि० आगरा द्वारा जगदीशप्रसाद अग्रिहोत्री पुत्र सुमेरुदत्त नि० 25/55 कारवान लोहामण्डी आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर मनमोहन अग्रवाल पुत्र रमेशचन्द्र अग्रवाल नि० 23/448 बवरीपुर रोड संजय लोस आगरा का नाम बतौर बेनामा दर्ज हो हे० आ० र० के० 24-09-12

3) नाम पृथक करके उसके स्थान पर मनमोहन अग्रवाल पुत्र रमेशचन्द्र अग्रवाल नि० 23/448 बवरीपुर रोड संजय लोस आगरा का नाम बतौर बेनामा दर्ज हो हे० आ० र० के० 24-09-12

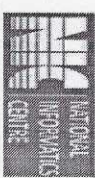
4) 1420फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार सदर आगरा के वाद सं० 82/12-13 दि० 21-03-13 के अनुसार गाटा सं० 215/0.1840, 216/0.1960, 217/0.1730 कुलविक्री 3/0.5530 हे० के बिक्रेता के निपट अंश में से आंशिक रकबा 0.4761 हे० गा० 190.60 ख से जवाहरकुंज सह० आ० समि० लि० द्वारा जगदीश प्रसाद अग्रिहोत्री पुत्र सुमेरुदत्त नि० 25/55 कारवान लोहामण्डी आगरा का नाम पृथक करके मेसर्स श्रीमान विजय प्रभा० लि० पंजीकृत कार्यालय 17 शेजवाला नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार सिंह पुत्र वीरपाल सिंह नि० 22ए आजाद नगर खट्दारी आगरा का नाम बतौर बेनामा दर्ज हो हे० आ० र० के० 21-03-13

Data Digitally Signed by: ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR)

दिनांक/समय/स्थान: 27-04-2024 03:39:18 तहसील : आगरा

१ यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक हितवारी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SHANTISWAROOP तहसील : आगरा
मुद्रित दिनांक एवं समय: 27-04-2024 03:39:18
१ Not Applicable For Online Pinaks २ उत्तरांचल उद्धरण खतौनी का डेपॉजिटेशन <https://upbhulekh.gov.in> पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।





उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 218340202404106

ग्राम क्रमांक : 218340 ग्राम का नाम (परगना) : ककैठा मुस्ताकिल(आगरा) तहसील : आगरा जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00093

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण

खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण

भूमि का विवरण

खातेदार का अंश

खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जाति का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (पूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू राजस्व
198	जवाहर कुंज सा.आ.सहि.द्वारा / . / जमादीश प्रसाद अग्रिहोत्री / सुमंरदत / 25/55, कारवाना लोहामण्डी		1396फ	198(2183400198000012)	0.5190			14.70

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- भूमि दशमलव पाँच एक नौ भूमि (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक चार दशमलव सात भूमि रुपय

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

दर्ज किया गया

(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विवादाधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :

(19) अभ्युक्ति :

1) 1431फ व आदेश श्रीमान तहलमहो० सदर आगरा के वाद सं० 17202301010105302 दि० 11-03-24 के अनुसार मौजा ककैठा मुस्ताकिल के खाता सं० 00093 के गाटा संख्या 197 रकबा 0.2190हे० में से रकबा 0.050835हे० व गाटा संख्या 198 रकबा 0.5190हे० सम्पूर्ण से विकला जवाहर कुंज सहकारी आवास समिति लि० द्वारा जमादीश प्रसाद अग्रिहोत्री पुत्र सुमंरदत निवासी 25/55 कारवाना लोहामंडी आगरा व खाता संख्या 00192 के गाटा संख्या 195 रकबा 0.1840हे० व गाटा संख्या 196 रकबा 0.1960हे० कुलक्षिता 2 में से रकबा 0.1040हे० से विकला मयूर सहकारी आवास समिति लि० आगरा द्वारा सचिव मिलिन्द कुमार पुत्र छोटे लाल शर्मा निवासी 50 मोहनपुरा आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर केला मेसर्स कावेरी हाउसिंग प्रालि० कार्यालय 57/2 कावेरी सेक्टर राजय लेंस आगरा द्वारा डायरेक्टर विकास फाजदार पुत्र जे०एस० फाजदार निवासी 56 एन०ए एन्क्लेव दयालबाग आगरा का नाम बदोरे सं०१० द्वारा बैनामा दर्ज हो हे०आर०के० (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR 27-04-2024)

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1420फ.- व आदेश श्रीमान तहसीलदार सदर आगरा के वादसं० 979/11-12 दि० 24-09-12 के अनुसार खाता सं० 105 के गा०सं० 215 रकबा 0.1840, 217 रकबा 0.1730, 219 रकबा 0.1960, 216 रकबा 0.1960, 218 रकबा 0.2420, 224 रकबा 0.3570, 197 रकबा 0.2190, 198 रकबा 0.5190 हे० एवं खाता सं० 106के
2) गा०सं० 220 रकबा 0.1730, 221 रकबा 0.3000, 222 रकबा 0.2190 कुल क्षिता 11 रकबा 2.778हे०के विकला के निपट अंश में से आंशिक रकबा 0.1672हे०भूमिकर अनुसार रकबा देय से जवाहरकुंज सहकारी आवास समिति लि० आगरा द्वारा जमादीशप्रसाद अग्रिहोत्री पुत्र सुमंरदत नि० 25/55 कारवाना लोहामण्डी आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर मनमोहन अग्रवाल पुत्ररमेशचन्द अग्रवाल नि० 23/448 बजौरपुरा रोड राजय लेंस आगरा का नाम बदोरे बैनामा दर्ज हो हे०आर०के० 24-09-12
3) नाम पृथक करके उसके स्थान पर मनमोहन अग्रवाल पुत्ररमेशचन्द अग्रवाल नि० 23/448 बजौरपुरा रोड राजय लेंस आगरा का नाम बदोरे बैनामा दर्ज हो हे०आर०के० 24-09-12
4) 1420फ.- व आदेश श्रीमान तहसीलदार सदर आगरा के वाद सं० 82/12-13 दि० 21-03-13 के अनुसार गा०सं० 215/0.1840, 216/0.1960, 217/0.1730कुलक्षिता 3/0.5530हे०के विकला के निपट अंश में से आंशिक रकबा 0.4761हे० मा० १० 60 ख से जवाहरकुंज सह०आ० समि०लि० द्वारा जमादीश प्रसाद अग्रिहोत्री पुत्र सुमंरदत
5) नि० 25/55 कारवाना गली लोहामण्डी आगरा का नाम पृथक करके मेसर्स श्रीमन विल्डर्स प्रालि० पंजीकृत कार्यालय 17 होजखास नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार सिंह पुत्र वीरपाल सिंह नि० 22ए आजाद नगर खटारी आगरा का नाम बदोरे बैनामा दर्ज हो हे०आर०के० 21-03-13

Digitally Signed by: ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR)

दिनांक/समय/स्थान: 27-04-2024 08:38:48 तहसील : आगरा

● यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक दिवालीरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SHANTAWAROO तहसील : आगरा
मुद्रित दिनांक एवं समय : 27-04-2024 08:39:43
● Not Applicable For Online Printings ● उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेबपेजेशन link: upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।





उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 218340202404103

ग्राम क्रमांक : 2183440 ग्राम का नाम (परगना) : ककरैठा मुस्किल(आगरा) तहसील : आगरा जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00192

श्रेणी : 1 क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में है।

खातेदार का विवरण

खातादार का विवरण		खातादारा प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातादार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नामाधिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम/ जाति कोड/ आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता/ जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	(3) न्यायालय का नाम/ कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या/ आदेश का दिनांक/ जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातादार द्वारा देय भू-राजस्व
195	मयूर सह-आवास समिती लि. / . / . आगरा द्वारा सचिव / . / . मिलिन्द कुमार / छोटे लाल शर्मा / 50 मोहन पुरा आगरा		1394फ.	195(2183400195000012)	0.1840			2.55

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शय्य दशमलव एक आठ चार शय्य (हैक्टेयर) कुल भू राजस्व - दो दशमलव पाँच पाँच रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम/जाति कोड/ आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	(12) गाट का खसरा नम्बर/ यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम/ पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम/ जाति कोड/ आधार न० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (६-९ स्थान के अंक) / पता/ जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	(15) गाट का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचारणीय राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :

(19) अभ्युक्ति :

1) 1431 फ व आदेश श्रीमान तहलमहो सदर आगरा के वाद सं० 17202301010105302 दि० 11-03-24 के अनुसार मौजा ककरैठा मुस्किल के खाता सं० 00093 के गाटा संख्या 197 रकवा 0.2190हे० में से रकवा 0.050835हे० व गाटा संख्या 198 रकवा 0.5190हे० सम्पूर्ण से विक्रेता जवाहर कुंज सहकारी आवास समिति लि० द्वारा जगदीश प्रसाद आशिहीनी पुत्र सुमरदत्त निवासी 25/55 कारवना लोहमहड़ी आगरा व खाता संख्या 00192 के गाटा संख्या 195 रकवा 0.1840हे० व गाटा संख्या 196 रकवा 0.1960हे० कुलक्षिता 2 में से रकवा 0.1040हे० से विक्रेता मयूर सहकारी आवास समिति लि० आगरा द्वारा सचिव मिलिन्द कुमार पुत्र छोटे लाल शर्मा निवासी 50 मोहनपुरा आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता मेसर्स कावेरी हाउसिंग प्रो० लि० कारवाँस 577/2 कावेरी सेन्टर संयय प्लेस आगरा द्वारा डायरेक्टर विकास फौजदार पुत्र जे०एस० फौजदार निवासी 56 एलेश एन्कवेव दयालबाग आगरा का नाम बतौर सं० 40 द्वारा बैनामा दर्ज हो हे० आ० के० (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR 27-04-2024)

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1400 फ - व आदेश श्रीमान सक्षम प्राधिकारी न० 40 सी आगरा के वाद सं० 6273/4988/67/04-06-92 के अनुसार खसरा सं० 851/0-6-15, 852/0-6-0, 27/0-11-0 कुल 1-15-6-12 से बल्ली पुत्र सुखा नि० ककरैठा का नाम खारिज करके राज्य सरकार नाम दर्ज हो नार सीलिंग हो ले० दि० 19-10-92
- 2) व आदेश श्रीमान सं० 040 न० 40 सी आगरा वाद सं० 3274/4987/6-7/31-07-93 के अनुसार गाटा सं० 870/0-8-5-6, 2582-17-0, कुल 3-5-5-6 से रमेश न० 10वां सरक्षिका कुमारी माता पत्नी श्यामा नि० सराय बग का नाम खारिज करके राज्य सरकार का नाम दर्ज हो हे० दि० 28-09-92
- 3) 1413 फ - व आदेश श्रीमान न० 10वां महो० विचारणीय खाता सं० 201 गा० सं० 1921/659 में से आर्थिक रकवा 0.1338 एवं गा० सं० 2581/1313 में से आर्थिक रकवा 0.1338 भूमिकर अनुसार देय से मयूर सह० आ० समि० लि० आगरा द्वारा सचिव मिलिन्द कुमार पुत्र छोटे लाल शर्मा नि० 50 मोहन पुरा आगरा का नाम खारिज करके उसका नाम बतौर सं० 40 द्वारा बैनामा दर्ज हो हे० आ० के० 27-12-06
- 4) खारिज करके श्री बुजबाग पुरा पुत्र कोकननर जौहरी नि० 23 हे० सांस रोड आगरा व मयूर अरोरा पुत्र सतीश अरोरा नि० 1 अशोक एन्कवेव दयालबाग आगरा व विमल हारीजा पुत्र अर्जुन दास नि० एस० डब्ल्यू 66 खामो बग दयाल बाग आगरा व मजीत सिंह पुत्र चौधरी जगदीश सिंह नि० 1173बी०
- 5) नैहरू नगर आगरा का नाम बतौर सं० 40 दर्ज हो हे० आ० के० 19-12-05
- 6) 1414 फ - व आदेश श्रीमान तह० महो० के वाद सं० 31283-84 दि० 27-12-06 के अनुसार पूर्व पारित आदेश दि० 22-2-1986 आर्थिक संशोधन करते हुए मौजा ककरैठा भू० की खाता सं० 201 गा० सं० 2581/13130 में से राज्य सरकार में निहित रकवा 2-17-0 बीघा यानी 0.657हे० से मयूर सह० आ०
- 7) समि० लि० आगरा द्वारा सचिव मिलिन्द कुमार पुत्र छोटे लाल शर्मा नि० 50 मोहन पुरा आगरा का नाम खारिज करके उसके स्थान पर राज्य सरकार नगर भूमि सीलिंग का नाम बतौर सं० 40 द्वारा बैनामा दर्ज हो हे० आ० के० 27-12-06
- 8) 1414 फ - व आदेश श्रीमान तह० महो० के आदेश दि० 26-06-07 के अनुपालन में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद निर्णित रिट याचिका संख्या 15829/2003 अन्तिम निर्णय दि० 17-03-05 के अनुपालन में मौजा ककरैठा के खाता सं० 201 के गा० सं० 2582-17-0 से वर्तमान इन्ड्रान निरस्त कर शंकरलाल पुत्र शेरसिंह
- 9) नि० बी० 889 न्यायन कोलोनी फिरोजबाद रोड आगरा का नाम बतौर सं० 40 द्वारा मा० उच्च न्यायालय आदेश दि० 17-03-05 दर्ज हो हे० आ० के० 29-06-07
- 10) 1415 फ - व आदेश श्रीमान तह० महो० आगरा के दिनांक 12-01-08 के अनुसार मौजा ककरैठा के गाटा सं० 2582-17-0 बीघा अतिरिक्त घोषित हुई राज्य सरकार की भूमि पर तह० के आदेश दि० 29-06-07/26-06-07 को जो शंकरलाल पुत्र शेरसिंह का नाम दर्ज हुआ है को खारिज करके दि० 27-12-06 तह० के आदेशानुसार राज्य
- 11) 1415 फ - व आदेश श्रीमान तह० महो० आगरा के दिनांक 12-01-08 के अनुसार मौजा ककरैठा के गाटा सं० 2582-17-0 बीघा अतिरिक्त घोषित हुई राज्य सरकार की भूमि पर तह० के आदेश दि० 29-06-07/26-06-07 को जो शंकरलाल पुत्र शेरसिंह का नाम दर्ज हुआ है को खारिज करके दि० 27-12-06 तह० के आदेशानुसार राज्य

12) 1416क. व आदेश श्रमान तहमहे0 सदर आगरा के वाद सं0 66/07-08 तद0 15-12-08 के अनुसार सं0म0 सं0 192/1. 6599हे0 में सं0 1.380हे0/2.58/ 3.130हे0 में सं0 1.380 कुल कितं 2.0. 2760हे0 में सं0 आशिक रकवा 0.0501 मा0:10 60छ सं0 मयुकर अररा पुत्र संताश अररा नि0 । अशोक एकलेख दयालवाग आगरा व तमल हसीला

13) पुत्र अर्जुनदास नि0 एस डब्लू. 66 स्वामी वाग दयालवाग आगरा व मंजीत सिंह पुत्र चौधरी जगदीश सिंह का नाम पृथक करके हृदय सिंह वकिल पुत्र प्रेमचन्द्र वकिल नि0 3/37 जवाहर नगर बाईपास रोड आगरा का नाम वतौर सं0म0 द्वारा बैनामा दर्ज हो हे0।अर0के0 19-12-08

14) 1416क. व आदेश न्यायालय मा0 परिषद राजस परीषद उमर0 चरनचंद निगाराजी संख्या 37/08-09 आगरा शहर लाल वनाम अरविन्द कुमार दीक्षित आदेश दि0 22-10-08 के अनुसार तबक तहसीलदार सदर आगरा द्वारा पारित आदेश दि0 12-1-08 का क्रियाचयन स्थिति रहेगा हे0. अर0 के0 2-1-09

15) 1422क. व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महेश0 के पृष्ठं कन आदेश दि0 16-04-15 के अनुपालन में मा0 राजस परीषद में घोषित निगरानी संख्या 37/एर0अर008-09 में मा0 सदस्य न्यायिक श्री विषयसंकर पाण्डेय के आदेश दि0 24-12-14 द्वारा राजस सरकार के हित में निरस्त की जाती है द्वारा प्रायनापत्र मय आदेश राजस परीषद ह0अर0के0

16) 02-05-15

17) 1422क. व आदेश श्रीमान तहमहे0 सदर आगरा के पृष्ठकन आदेश दि0 29-05-2015 के अनुपालन में इस खत पर पूर्व में ेअंकित आदेश अपूर्ण होने के कारण निम्नवत अंकित किया जाता है- कि मा0 राजस परीषद में घोषित निगरानी संख्या 37/एर0अर0/2008- 09 में पारित आदेश दि0 24-10-14 के अनुसार यह

18) निगरानी भू राजस अधिनियम की धारा 219 के अन्तर्गत तहसीलदार सदर आगरा के आदेश दि0 12-01-08 के विरुद्ध परिषद में प्रस्तुत की गयी है। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने के लिये एक साराह का समय मांगा गया था। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस 19) दाखिल की है। किन्तु प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय लिखे जाने तक अपनी लिखित बहस दाखिल नहीं की है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 45139 सन 2008 में पारित आदेशों के अनुपालन में मेसर्स सेबी होम्स के पक्ष में 20) पारित टाईटिल दावा के निरस्त कर दिया गया। मयूर सहकारी आवस समिति को दिनांक 20-04-1982 को गा0स0 258 रकवा 2बीषा 17 बिस्वा के पक्ष में बैनामा हुआ था। जिसका उन्हीने प्लॉट बनकर अपने सदस्यों को तथा तथा मेसर्स सेबी होम्स का बेच दिया था। मेसर्स गा0पति बिज्लर्स ने रेजिस्टर्ड बैनामा कर लिया तथा 21) बहुमस्जिती बहुचुखडी भवन गा0पति श्रीन एपार्टमेंट के नाम से लॉन किया जिसे आगरा के स्थानीय प्रशासन एवं आगरा प्राधिकरण द्वारा रोका दिया गया। जिससे बुद्ध होकर रिजेश विवारी ने दिनांक 20-01-09 को रिट दाखिल की। मा0 उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के अन्तरण को अवैध अन्तरण मानते हुए भूयुक्त करवाकर दिया है। इन 22) आधारों पर मेसर्स सेबी होम्स को पक्षकार बनने को कोई आधार अथवा अधिकार नहीं बनता है। इस लिये इन्हें पक्षकार बनाये जाने का प्रायनापत्र निरस्त किया जाने योग्य है, जिसे निरस्त किया गया। इस मामले में मेसर्स सेबी होम्स प्रा0हे0 द्वारा पक्ष बनये जाने दिये गये प्रायनापत्र को पक्षी द्वारा हिसे गये एको पर 23) सुना। इस मामले में पक्षकारों के मध्य मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय में चले मुकदमों से सम्बन्धित आदेश उपलब्ध है। इस प्रकार में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलएपी0 सिविल अपील सं0 8178/10 में पारित आदेश दि0 21-09-10 के क्रम में पक्ष बनने विषयक प्रायनापत्र बतहीन हो जाता है, क्योंकि जब 20 24) अर्देल 1984 मयूर सहकारी आवस समिति के पक्ष को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तो मेसर्स सेबी प्रा0हे0 को पक्ष बनने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप पक्ष बनाने हेतु प्रायनापत्र अस्वीकार किया जाता है। इस मामले तहसीलदार सदर आगरा द्वारा पारित आदेश दि0 12-01-08 अन्तर्गत 25) वाद सं0 37/एर0अर0/2008/खिला-आगरा में पारित आदेश के विरुद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार ने अपने प्रस्तावित आदेश में गा0स0 258 रकवा 2-17-0 बीषा अतिरिक्त घोषित हुयी राज्य सरकार की भूमि पर दर्ज सरकारलाल पुत्र शेर सिंह का नाम खारिज करके दिनांक 22-12-06 तहसीलदार के 26) तहसीलदार के आदेशानुसार राजस सरकार का नाम वाद प्रस्त भूमि पर अधिकृत किये जाने का आदेश पारित किया। तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश में क्या विधिक त्रुटि है, इसे निगरानीकर्ता स्पष्ट कर पाने में सफल नहीं हो सके। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया है कि अरबना लेण्ड सीलिंग रोज़ेशन एक्ट के अन्तर्गत पारित किये गये

27) विभिन्न आदेश अन्तिम हो चुके है, क्योंकि उनके विरुद्ध कोई अपील/रिट नहीं की गयी है। इन तथ्यों के प्रकाश में तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। निगरानीकर्ता ऐसा कोई भी ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं कर सके जिसके आधार पर उन्हें कोई दिया जा सकता हो।

28) फलस्वरूप निगरानी बतहीन होने के कारण निरस्त की जाती है हे0अर0के0 09-06-15

29) 1424क न्यायालय मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद घोषित रिट सं0 30155/2017 शंकरलाल बानाम स्टेट ऑफ यू0पी0 आदि आदेश दि0 19-07-17 पारित दि0 29-07-17 आदेश हुआ कि Till The next date of listing, operation of the orders dated 12.01.2008, 24.12.2014 and 07-03-17 shall remain stay एवं हे0अर0के0 29-07-17 30) 1426क कोयलिय सक्षम प्राधिकारी न0म0सी0/ 00 डी0 एम0 (नगर), आगरा पत्रांक 611/न0म0सी0-19/आगरा दि0 18-02-19 के अनुसार खसरा संख्या 258 रकवा 2-17-0 सित मीजा ककरैठा मुस्ताकिल तह0 व खिला आगरा पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15829/2003 में पारित आदेश दि0 02-05-2005 के क्रम में श्री शंकर लाल पुत्र श्री शेर सिंह नि0 राजस सिक्कुरा पोस्ट विचार तह0 सादाबाद खिला होधरस का नाम मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अन्य याचिका संख्या 30155/2017 में पारित आदेश "Till the next date of listing, operation of the orders dated 12.01.2008, 24.12.2014 and 07.03.2017 shall remain stay एवं" के क्रम में पूर्व आदेश दि0 26-06-2007/29-06-2007 को राजस अफिलेखा में दर्ज बनाने रखना सुनिश्चित कर हे0अर0के0 22-02-19

31) 1429क व आदेश श्रीमान तहमहे0 सदर आगरा के वाद सं0 T20190101000953 दि0 13-12-21 के अनुसार उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की लिखित बहस व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण करने से स्पष्ट है कि नागिका अधिवक्ता द्वारा अपनी विधिक राय दिनांक 18.10.2021 में कहा है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 15829/2003 शंकर लाल वनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.5.2005 के द्वारा गाटा संख्या 258 रकवा 2-17-0 मीजा ककरैठा मुस्ता तहसील व खिला आगरा सीलिंग से मुक्त किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध आज दिनांक तक अन्तरण कोई भी आदेश माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्ननात भूमि सीलिंग अथवा शासकीय भूमि नहीं है मीजा ककरैठा मुस्ताकिल, तहसील व खिला-आगरा के खाला सं0 192 के गाटा सं0 258 रकवा 1.3110 हे0 में से सीलिंग से अवमुक्त भूमि 0.6565 हे0 (अर्थात् 2-17-0 बीषा गा0म0 60(छ) पर पूर्व में पारित सं0 मयूर सहकारी आवस समिति नि0 आगरा द्वारा सविन श्री मिलिन्द कुमार पुत्र छोटेलाल शर्मा निवासी-50 मोहनपुरा आगरा एवं श्री ब्रजनाथ गुप्ता पुत्र कौकामल जूहरी नि0 23 हेस्टिंगा रोड, आगरा व मुयकर अरोडा पुत्र श्री संतोष अरोडा, नि0 01, अशोका एन्स्लेव, दयालवाग, आगरा व विमल हसीजा पुत्र अर्जुनदास नि0 एस0डब्लू 66, स्वामीवाग, दयालवाग, आगरा व मंजीत सिंह पुत्र चो0 जगदीश सिंह नि0 173 बी नेहरू नगर, आगरा तथा उक्त मयूर सहकारी आवस समिति से प्राप्त अधिकारों के क्रम में दर्ज अन्य व्यक्ति श्री हृदय सिंह बंसल पुत्र श्री रमचन्द्र बंसल नि0 3/37 जवाहर नगर, बाईपास रोड, आगरा का नाम मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 2786/2009 में पारित आदेश दि0 21.09.2010 एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 45169/2009 में पारित आदेश दि0 20.01.2009 के अनुपालन में खारिज कर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 15529/2003 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2005 के क्रम में शंकरलाल पुत्र श्री शेर सिंह के नाम से अवमुक्त की गई सीलिंग भूमि गा0स0 258 के 0.6565 हे0 (अर्थात् 2-17-0 बीषा) क्षेत्रफल स्थित मीजा, ककरैठा मुस्ताकिल, तहसील व खिला- आगरा पर से शंकरलाल पुत्र श्री शेर सिंह का नाम निरस्त कर उक्त शंकरलाल द्वारा निष्पादित बैनामा दि0 17.01.2011 के आधार पर वादीगण/क्रांतगणों सेबीव अग्रवाल पुत्र राजाबाबू अग्रवाल नि0 27/67 मेना गेट, पयवारी बैतनगढ़, तहसील व खिला-आगरा व विनय आर0 गोयल पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द एवं गोयल निवासी-181 नारा विजय नगर कौलोनी, तहसील व खिला-आगरा का नाम वतौर संक्रमणीय भूमिपर दर्ज हो एवं उक्त खसरा सं0 258 के अवशेष रखने पर राजस सरकार का नाम पत्रावत रहेगा हे0अर0के0 12-01-22

Dated Digitally Signed by: ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR)

दिनांक/महसूसन: 27-04-2024 09:36:24 तहसील : आगरा

यह उद्घरण खनीज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिस्टम द्वारा होधर की गयी है तथा डाटा कीर्तनक हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता: SHANTISWAROOP तहसील : आगरा
मुद्रित दिनांक एवं समय: 27-04-2024 09:36:24
Not Applicable For Online Print
उपरोक्त उद्घरण खनीजी का वेबसाइट पर उपलब्ध है।
Code Scan करके लिया जा सकता है।





उद्धार कक्षा : 218340202404104

[illegible]

द्वज किंथा गथा

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/छातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

[illegible]

10। 14। 5फ. वे आदेश श्रीमान वर्तमान10 आग्रा के दिनेक 12-01-08 के अनुसार मौज ककठो के गाटा सं 258/ 2-17-0 बीघा अतिरिक्त घोषित इहें राज्य सरकार को भूमि पर तहो के आदेश दि० 29-06-07/26-06-07 को ना शकसरतल पुत्र शराह को नाम दलु अह को साखर करक दि० 27-12-06 तहिक आदेशानुसार राज्य

- 12) 14.16क.:- व आदेश श्रीमान तहसीलमंत्री सदर आगरा के बाद सं0 666/07-08 दि० 15-12-08 के अनुसार सं040 क गणसं0 19/21. 6590हे० में सं० 1.380हे०,2558/1.3130हे० म सं० 1.380 कुल किंता 2.0 27.60हे० म से अधिक रकवा 0.0501 मा०गु० 60ख से महुकर अरेश पुत्र सतीश अरेश नि० 1 अशोक एकलव दयालबाग आगरा व वमल हसीना
- 13) पुत्र ५, कुनवास नि० एस डब्लू. 66 सामी बाग दयालबाग आगरा व मंजीत सिंह पुत्र चौधरी जगदीश सिंह का नाम पृथक करके हृदय सिंह कल पुत्र प्रेमचन्द्र खेत नि० 3/37 जवाहर नगर बाईपास रोड आगरा का नाम वही सं०40 द्वारा बैनामा दर्ज हो ६०आ०के० 19-12-08
- 14) 14.16क.:- व आदेश न्यायालय मा० परिषद राजस परिषद उ०ग० लखनऊ निगरानी संख्या 37/08-09 आगरा शहर लाल वजाम अरविंद कुमार दीक्षित आदेश दि० 22-10-08 के अनुसार तत्काल तहसीलदार सदर आगरा द्वारा पारित आदेश दि० 12-1-08 का क्रिमाच्यून स्थिति रहेगा ६० आ० के० 2-1-09
- 15) 14.22क.:- व आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महो० के पृष्ठ कन आदेश दि० 16-04-15 के अनुपालन में मा० राजस परिषद में जोडित निगरानी संख्या 37/रा०आ०/08-09 में मा० सदस्य न्यायिक श्री विजयशंकर पाण्डेय के आदेश दि० 24-12-14 द्वारा राज्य सरकार के हित में निरस्त की जाती है द्वारा प्रार्थनापत्र मय आदेश राजस परिषद ६०आ०के०
- 16) 02-05-15
- 17) 14.22क.:- व आदेश श्रीमान तहसीलमंत्री सदर आगरा के पृष्ठकन आदेश दि० 29-05-2015 के अनुपालन में इस खते एव पूर्व में ०६आदेश आदेश अपूर्ण होने के कारण निम्नवत् अंकित किया जाता है- कि मा० राजस परिषद में जोडित निगरानी संख्या 37/रा०आ०/2008-09 में पारित आदेश दि० 24-10-14 के अनुसार यह
- 18) निगरानी भूराजस अधिनियम की धारा 219 के अर्थात् तहसीलदार सदर आगरा के आदेश दि० 12-01-08 के विरुद्ध परिषद में प्रस्तुत की गयी है। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी लिखित बहस दाखिल करने के लिये एक सप्ताह का समय मांगा गया था। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस 19) दाखिल की है। किन्तु प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय लिखे जाने तक अपनी लिखित बहस दाखिल नहीं की है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने लिखित बहस में कथन किया है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट पारिषा संख्या 45139 सन 2008 में पारित आदेशों के अनुपालन में मेसर्स सेवी होम्स के पक्ष में 20) पारित टाईटिल दावा के निरस्त कर दिया गया। मयूर सहकारी आवास समिति को दिनांक 20-04-1982 को ग्रासं० 238 रकवा 2बीघा 17 बिस्वा के पक्ष में बैनामा हुआ था। जिसका उन्होंने खॉट बनाकर अपने सदस्यों को तथा तथा मेसर्स सेवी होम्स को बेच दिया था। मेसर्स गणपति बिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड बैनामा कर दिया तथा 21) बुद्धमंजिली बहुखाली भवन गणपति ग्रीन एपार्टमेंट के नाम से लॉच किया जिसे आगरा के स्थानीय प्रशासन एवं आगरा प्राधिकरण द्वारा रोक दिया गया। जिससे धृष्ट्य होकर रीतेश तिवारी ने दिनांक 20-01-09 को रिट दाखिल की। मा० उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के अन्तरण को अशेष अन्तरण मानते हुए शून्य कराकर दिया है। इन 22) आधारों पर मेसर्स सेवी होम्स को पक्षकार बनाने का कोई आधार अथवा अधिकार नहीं बनता है। इसे इनके पक्षकार बनाने वाले का प्रार्थनापत्र निरस्त किसे जाने योग्य है, जिसे निरस्त किया जाये। इस मामले में मेसर्स सेवी होम्स प्रॉलिटो द्वारा पक्ष बनाये जाने दिने गये प्रार्थनापत्र का पक्षी द्वारा दिये गये तर्कों पर 23) सुन। इस मामले में पक्षकारों के मध्य मा० उच्च न्यायालय एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय में चले मुकदमों से संबंधित आदेश उलटबट है। इस प्रकरण में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएल०पी० सिविल अपील सं० 8178/10 में पारित आदेश दि० 21-09-10 के क्रम में पक्ष बनाने विषयक प्रार्थनापत्र बर्हात हो जाता है। क्योंकि जब 20 24) अप्रैल 1984 मयूर सहकारी आवास समिति के पक्ष का मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तो मेसर्स सेवी होम्स प्रॉलिटो को पक्ष बनाने हेतु प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। इस मामले तहसीलदार सदर आगरा द्वारा पारित आदेश दि० 12-01-08 अन्तर्गत 25) बाद सं० 37/रा०आ०/2008/खिला-आगरा में पारित आदेश के विरुद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार ने अपने प्रस्तावित आदेश में ग्रासं० 238 रकवा 2-17-0 बीघा अतिरिक्त जोडित हुए राज्य सरकार की भूमि पर दर्ज शंकराला पुत्र शेर सिंह का नाम खोजि करके दिनांक 27-12-06 तहसीलदार के 26) तहसीलदार के आदेशानुसार राज्य सरकार का नाम बाद प्रस्त भूमि पर अंकित किसे जाने का आदेश पारित किया। तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश में क्या विशिष्ट जुटे है, इसे निगरानीकर्ता स्पष्ट कर पाने में सफल नहीं हो सके। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया है कि अरबन होउड सीलिंग रेगुलेशन एक्ट के अन्तर्गत पारित किसे गये
- 27) विभिन्न आदेश अन्तिम हो चुके है, क्योंकि उनके विरुद्ध कोई अपील रिट नहीं की गयी है। इन तथ्यों के प्रकाश में तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। निगरानी कर्ता ऐसा कोई भी ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं कर सके जिसके आधार पर उन्हें कोई दिया जा सकता हो।
- 28) फलस्वरूप निगरानी बर्हात होने के कारण निरस्त की जाती है ६०आ०के० 09-06-15
- 29) 14.24क न्यायालय मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद जोडित रिट सं० 30155/2017 शंकरालाल बनारस स्टेट ऑफ यू०पी० अदि आदेश दि० 19-07-17 प्रात दि० 29-07-17 आदेश हुआ कि TIA The next date of listing, operation of the orders dated 12.01.2008, 24.12.2014 and 07-03-17 shall remain stay'd. ६०आ०के० 29-07-17
- 30) 14.26क कार्यालय सक्षम प्राधिकारी न०4०सी० ए० डी० एम० (नगर), आगरा पत्रांक 61/7००सी०-19/आगरा दि० 18-02-19 के अनुसार खसरा संख्या 238 रकवा 2-1-70 स्थित मौजा ककरैठा मुस्तकिल तहो व जिला आगरा पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 15829/2003 में पारित आदेश दि० 02-05-2005 के क्रम में श्री शंकर लाल पुत्र श्री शेर सिंह नि० नाला सिद्धार्थ पारित विचार तहो सादाबाद जिला हाथरस का नाम मा० उच्च न्यायालय द्वारा अन्य याचिका संख्या 30155/2017 में पारित आदेश "TIA the next date of listing, operation of the orders dated 12.01.2008, 24.12.2014 and 07.03.2017 shall remain stay'd" के क्रम में पूर्व आदेश दि० 26-06-2007/29-06-2007 को राजस अधिलेख में दर्ज बनाये रखना सुनिश्चित करे ६०आ०के० 22-02-19
- 31) 14.29क व आदेश श्रीमान तहसीलमंत्री सदर आगरा के बाद सं० 120130/10100953 दि० 13-12-21 के अनुसार उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की लिखित बहस व पत्रावली पर उपालब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण करने से स्पष्ट है कि नामिका अधिवक्ता द्वारा अपनी विशिष्ट राय दिनांक 18.10.2021 में कहा है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं० 15829/2003 शंकर लाल बनारस उतर प्रदेश सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.5.2005 के द्वारा गाटा संख्या 258 रकवा 2-17-0 मौजा ककरैठा मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा सीलिंग से मुक्त किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध आज दिनांक तक अन्यथा कोई भी आदेश माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि सीलिंग अथवा शासकीय भूमि नहीं है मौजा ककरैठा मुस्तकिल, तहसील व जिला, आगरा के खाता सं० 192 के गाटा सं० 258 रकवा 1.3130 हे० में से सीलिंग से अवमुक्त भूमि 0.6565 हे० (अर्थात् 2-17-0 बीघा) मा०गु० 60ख) पर पूर्व में पारित भो मयूर सहकारी आवास समिति नि० आगरा द्वारा सौचि श्री मिलिन्द कुमार पुत्र जेहेतलाल शर्मा निवासी-50 मोहनपुरा आगरा एवं श्री ब्रजनाराय गुप्ता पुत्र व/कामल जोशी नि० 73 हेस्तिंग रोड, आगरा व मुखकर अरोडा पुत्र श्री सतीश अरोडा, नि० 01, अशोका एन्क्लेव, दयालबाग, आगरा व विमल हसीना पुत्र अर्जुनवास नि० एस०डब्ल्यू 66, सानीबाग, दयालबाग, आगरा व मंजीत सिंह पुत्र चौ० जगदीश सिंह नि० 173 बी नैहरू नगर, आगरा तथा उक्त मयूर सहकारी आवास समिति से प्राप्त अधिकारों के क्रम में दर्ज अन्य व्यक्ति श्री हृदय सिंह बर्हात पुत्र श्री प्रेमचन्द बर्हात नि० 3/37 जवाहर नगर, बाईपास रोड, आगरा का नाम मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं० 2786/2009 में पारित आदेश दि० 21.09.2010 एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं० 45169/2009 में पारित आदेश दि० 20.01.2009 के अनुपालन में खोजि कर मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं० 1,380/2003 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2005 के क्रम में शंकरालाल पुत्र श्री शेर सिंह के नाम से अवमुक्त की गई सीलिंग भूमि ग्रा०सं० 258 के 0.6565 हे० (अर्थात् 2-17-0 बीघा) क्षेत्रफल स्थित मौजा- ककरैठा मुस्तकिल, तहसील व जिला- आगरा पर से शंकरालाल पुत्र श्री शेर सिंह का नाम निरस्त कर उक्त शंकरालाल द्वारा निष्काटित बैनामा दि० 17.01.2011 के आधार पर वर्तमानपणे सजीव अथवात पुत्र राजाबाबू, अमरपाल नि० 27/67 मैना रोड, पंचवती बेलनाग, तहसील व जिला-आगरा व विमल आरा गोपाल पुत्र सं० श्री रमेश चन्द एवं गोपाल निवासी-181 नारा विजय नगर कोलीनी, तहसील व जिला-आगरा का नाम बहीरे सक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो एव उक्त खसरा सं० 238 के अवशेष रकवा पर राज्य सरकार का नाम यथावत रहेगा ६०आ०के० 12-01-22

Data Digitally Signed by: ASHOK KUMAR GREVENIE INSPECTOR)

दिनांक/समय/स्थान: 27-04-2024 09:38:38 तहसील : आगरा

यह उद्घरण खलीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटरी सिस्टम द्वारा थेमर की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता: SHANTISWAROOP तहसील : आगरा
मुद्रित दिनांक एवं समय: 27-04-2024 09:38:38
Non-Applicable For Online Printms : उपयुक्त उद्घरण खलीनी का भरोसाकेशन <https://ipbhualekh.gov.in> Webstate पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

